अजमेर नगर परिषद, (विज्ञापन) उपविधियां, 2008

शीर्षक, सीमा एवं प्रभाव :– (क) ये उपविधियां अजमेर नगर परिषद (विज्ञापन) उपविधियां, 2008 कहलावेगी।
(ख) ये उपविधियां अजमेर नगर परिषद की समस्त सीमा में प्रभावशील होगी।
(ग) ये उपविधियां राजस्थान सरकार से स्वीकृत होकर राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगी।

2 शाब्दिक परिभाषाए :– जब तक अर्थ में असंगतता अथवा भाव में विपरीतता न हो, इन उपविधियों के प्रयोजनार्थ निम्नांकित शब्दों की परिभाषा निम्न प्रकार व्यवहृत होगीः–

(क) ''सभापति' से तात्पर्य अजमेर नगर परिषद के सभापति से है।
(ख) ''अनुज्ञा पत्र'' (लाईसेंसी) से अभिप्रेत इन उपविधियों के अन्तर्गत किये जाने वाले या प्रदान किये गये अनुज्ञा पत्र से है।
(ग) ''अनुज्ञा पत्रधारी'' (लाईसेंसी) से अभिप्रेत इन उपविधियों के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र (लाईसेंस) प्राप्त करने वाले व्यक्ति से है, तथा इसमें इसका अभिकर्ता प्रतिनिधि एवं अन्य कर्तव्यस्थ सेवक सम्मिलित है।
(घ) ''आयुक्त'' से तात्पर्य अजमेर नगर परिषद के उस अधिकारी से है जो इन उपविधियों के प्रयोजनार्थ नगर परिषद द्वारा प्राधिकृत किया गया है। इसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी सम्मिलित किया माना जायेगा।
(ड) ''नगर परिषद सूचना पटट'' से अभिप्रेत परिषद द्वारा निर्धारित पटट से है जो किसी भी प्रकार के सूचना पत्र, विज्ञापन, वात विपत्र (होर्डिंग) आदि लगाने अथवा चिपकाने के लिये परिषद द्वारा निशचित किया गया हो।
(च) ''परिषद'' से अभिप्रेत अजमेर नगर परिषद से है।
(छ) ''विज्ञापन'' से अभिप्रेत ऐसे पटट या सूचना पटट या सूचना, प्लेकार्ड, हस्त विपत्र, रेखाचित्र, नाम पटट विधुत चलित विज्ञापन, बैनर, वाल पेन्टिंग, प्रतीक चिन्ह (ऐम्बलम) चल वाहनों पर विज्ञापन व होर्डिग्स आदि से है जो किसी भवन, भूमि दीवार या आकाश, चल–अचल वाहन/वस्तुएं पर प्रदर्शित हो तथा जो किसी विज्ञापन को प्रदर्शित करने के लिये प्रयुक्त हो जो किसी फर्म/एजेन्सी/संस्था/उत्पाद आदि का नाम व विज्ञापन प्रदर्शित करें। इसमें रोड़ फर्निचर (गेंन्टी, यूनीपोल, साईनेज, यूरीनल ब्लॉक, पोटेट प्लाट, बैकलिट टावर, ट्रेफिक बूथ) सम्मलित माने जाएगें।
(ज) ''परिष्कृत क्षेत्र'' (सोफिस्टीकेटेड एरिया) से अभिप्रेत ऐसे क्षेत्र से है जो लाईसेन्सिंग अथोरिटी द्वारा विज्ञापन समिति की राय से निर्धारित किया जावे।
(झ) ''विज्ञापन समिति'' से अभिप्रेत उस समिति से है जिसका गठन लाईसेंन्सिंग अथोरिटी द्वारा किया जावेगा।
(य) ''खतरनाक विज्ञापन प्रदर्श'' से तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रदर्श से है जो मानव जीवन के लिए खतरनाक हो परन्तु कोई विज्ञापन केवल दृष्य मात्र होने से खतरनाक नहीं होगा और कौनसा विज्ञापन खतरनाक माना जावे या खतरनाक नही माना जावे इस बारे में परिषद के सभापति/आयुक्त का निर्णय अन्तिम होगा।
(र) ''लघु विज्ञापन पटट'' से तात्पर्य ऐसे विज्ञापन पटट से है जो आकार में 8 फिट इन्टू 4 फिट से छोटे हो।
(ल) ''विज्ञापन समीक्षा समिति'' से अभिप्राय ऐसी समिति से है जो इन उपविधियों में अंकित की गई है।
(स) ''निर्दिष्ट स्थान'' से तात्पर्य वह स्थान होगा जो परिषद द्वारा विज्ञापन प्रदर्श हेतु स्वीकृत किया जायेगा।
(श) जो शब्द यहाँ परिभाषित नहीं किये गये है उनके सम्बन्ध में नगर पालिका अधिनियम,1959 में दी गई परिभाषाऐं लागू होगी। साथ ही इसमें राजस्थान सम्पति विरूपण निवारण अधिनियम 2006 के नियम व परिभाषाएँ भी शामिल मानी जावेगी।

3 निषेधः– (1) परिषद की सीमा में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के विज्ञापन किसी भवन पुल, आकाश मार्ग, मय फुटपाथ, पेड नगर प्राचीर, नगरद्वार बिजली या टेलीफोन के खम्बों,

चल–अचल वाहनों/वस्तुओं पर अथवा किसी भी खुले स्थान पर बिना अनुज्ञा पत्र के नहीं लगायेगा और ना ही चिपकवायेगा/चित्रित/प्रदर्शित करेगा।
(2) कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के विज्ञापन बिना अनुज्ञापत्र के किसी भवन, पुल, मार्ग, नगर प्राचीर या नगरद्वार, बिजली व टेलीफोन के खम्बे, चलवाहन, डेयरी बूथों कियोस्क एवं शुलभ शौचालय, बस सैल्टर्स, रोड डिवाईडर पर नहीं लिखेगा और ना ही चित्रित करेगा तथा ना ही अन्य किसी प्रकार की तस्वीरों द्वारा ऐसे संकेत प्रदर्शित करेगा कि जिनको कोई भी साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति विज्ञापन होने का खयाल करे। उपरोक्त कृत्य विज्ञापन प्रदर्श है या नहीं इसका निर्णय लाईसेंस अथोरिटी द्वारा किया जावेगा।
(3) कोई भी व्यक्ति अथवा भवन व भूमि स्वामी, निजी भवनों के ऐसे स्थानों पर जो किसी सार्वजनिक मार्ग से दिखाई देते है अथवा किसी आम रास्ते से प्रभावित होते हो, किसी भी प्रकार के विज्ञापन बिना अनुज्ञापत्र के न चिपकायेगा न चिपकाने की स्वीकृति देगा न लिखेगा न लिखने की स्वीकृति देगा न चित्रित करेगा और न चित्रित करने की स्वीकृति देगा।
(4) अनुज्ञापत्र प्राप्ति की प्रणालीः–(क) सार्वजनिक स्थलों के निदिष्ट स्थानों पर आईरन ऐंगिल का स्ट्रेक्चर लगाकर परिषद द्वारा उपबन्धित रीति से विज्ञापन लाईसेन्सी द्वारा किया जा सकता है जिसका लाईसेंस खुली नीलामी के आधार पर जोन वाईज अथवा प्रत्येक साईट की जैसा विज्ञापन समिति उचित समझे पर निर्णित किये जायेंगे, परन्तु यदि विज्ञापन उचित समझें तो इन उपविधियों के अनुरूप मौजूदा विज्ञापन पटटों का नवीनीकरण विज्ञापन समिति के अनुमोदन से किया जा सकता है। यह नवीनीकरण गत वर्ष के शुल्क की राशि से 10 प्रतिशत बढ़ाई जाकर किया जावेगा। लेकिन तीन वर्ष में एक बार नीलामी अवश्य होगी।
(ख) वृक्ष कबच (टी गाडर्स) रोड डिवाईडरों, बस सैक्टरों, सुलभ शौचालयों, डेयरी बूथों, फिल्म पोस्टरों, बैनर पटट/छोटे विज्ञापन पटट/ विज्ञापन पटट (होर्डिंग्स) आदि पर विज्ञापन प्रदर्श लाईसेंस खुली नीलामी/बीओटी आधार पर किया जा सकेगा। जिनकी शर्ते विज्ञापन समिति द्वारा निर्धारित की जावेगी। टी गाडर्स एवं रोड डिवाईडर्स की रेलिंग पर केवल छोटे वृताकार अथवा आयताकार विज्ञापन समिति द्वारा निर्धारित की जावेगी। ट्री गाडर्स एवं रोड डिवाईडर्स की रेलिंग पर केवल छोटे वृताकार अथवा आयताकार विज्ञापन की ही अनुमति दी जायेगी।
(ग) लघु विज्ञापन हेतु आवेदक को आवेदन पत्र साईट प्लान सहित लाईसन्सींग अथोरिटी को प्रस्तुत करना होगा। स्वीकृति प्राप्त होने पर प्रतिवर्ग फीट 70/– रू.की दर अथवा उस क्षेत्र की निलामी राशि जो भी अधिक हो वर्ष भर की राशि परिषद कोष में जमा करानी होगी।
(घ) विधुत चलित/इलेक्ट्रोनिक विज्ञापन प्रदर्श निर्धारित स्थानों पर खुली नीलामी के द्वारा किये जायेंगे।
(ड) (1) इन उपविधियों के प्रयोजनार्थ आयुक्त अनुज्ञापत्र प्राधिकारी (लाईसेन्सिंग अथोरिटी) होंगे।
(2) विज्ञापन समीक्षा समिति के अध्यक्ष/सभापति होंगे एंव निम्नांकित सदस्य होंगे जिसकी वर्ष में एक बार बैठक अवश्य बुलानी होगीः–
3 आयुक्त अजमेर नगर परिषद जो सदस्य सचिव होंगे
4 मुख्य कार्यकारी अधिकारी सदस्य
5 अधिशाषी अभियन्ता नगर सुधार न्यास, अजमेर–सदस्य
6 वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर–सदस्य
7 पुलिस अधीक्षक अजमेर द्वारा मनोनित कोई अधिकारी–सदस्य
8 अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, अजमेर–सदस्य
5 इन उपविधियों की उपविधि 4 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्र आयुक्त द्वारा अस्वीकार किया जा सकेगा यदि–(1) आवेदन पत्र में उपविधियों के क्लॉज संख्या 4 शर्तो की पूर्ति नही की गई है।
(2) उसके दृष्टिकोण से विज्ञापन अनुचित या अवैधानिक है अथवा अशिष्ट या अश्लील है या महिला विरूपण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत प्रतिबंधित है या नागरिकों के लिये कलेश्कर है अथवा उनका प्रदर्शन उसकी दृष्टि में किसी भी अन्य प्रकार से अवांछिनिय है

या जिनमें अश्लील अथवा नग्न अथवा नशे के चित्र संकेत या लिखित रूप में प्रदर्शित किये गये है।
(3) विज्ञापन से जन शान्ति भंग होने का अन्देशा हो या सार्वजनिक हित अथवा जन कल्याण में बाधक हो।
(4) विज्ञापन इन उपविधियों में निर्दिष्ट प्रावधानों के विपरीत है।
6. आयुक्त को अधिकार होगा कि वह अनुज्ञाधारी को बिना पूर्व सूचना दिये ऐसे विज्ञापन को चाहे वे मुद्रित हो या लिखित या चित्रित हों या विज्ञापित स्थानों पर लगाये गये हो जिसमें शान्ति भंग होने का अंदेशा हो या अन्य प्रकार से सार्वजनिक हित या जनकल्याण में बाध्य हो या उपविधि 5 के अन्तर्गत अस्वीकार किये गये या बिना स्वीकृति लगाये हों। यदि पटट निजि है और गन्दी व भददी हालत में रखा जाता है तो उसे हटा सकेंगे अथवा स्वच्छ करा सकेंगे। लाईसेंन्सिग अथोरिटी द्वारा हटाये गये विज्ञापन की क्षति का मुआवजा और हटाने का खर्चा जो भी वह निशिचित करेंगे, उस व्यक्ति से वसूल किया जावेगा जिसने व जिसका विज्ञापन प्रदर्शित किया गया है।
7. प्रत्येक विज्ञापन प्रदर्शन पटट आदि सामान्यतया उसी फर्म और व्यक्ति का माना जावेगा जिनका कि उस पर नाम अंकित है, जब तक कि सक्षम न्यायाधिकरण द्वारा विपरीत प्रमाणित न हो जावे।
8. इन पर विधियों के अन्तर्गत प्रदान किये गये कोई भी अनुमति पत्र या अनुज्ञा पत्र अहस्तान्तरणीय होंगे। विज्ञापन प्रदर्श पर फर्म या व्यक्ति का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा।

एडवरटाईजिंग एजेन्सीज/संस्थाए भी अनुज्ञा पत्र इन उपविधियों के अन्तर्गत प्राप्त कर सकेंगे।

9. इन उपविधियों के अनुसार जो भी विज्ञापन अथवा चित्रित या लिखित विज्ञापन सूचनाए आदि हटाई या पोतकर स्वच्छ की जावेगी इनके लिए परिषद किसी प्रकार की क्षति की उतरदायी नही होगी और न वह शुल्क राशि ही लौटाई जावेगी जो स्वीकृति के लिए जमा की गई है एंव विज्ञापन के गिरने, हटने व प्राकृतिक आपदा के कारण हुई आम जन/धन हानि की समस्त जिम्मेदारी विज्ञापनकर्ता की मानी जावेगी। इसके लिए परिषद उतरदायी नही होगा।
10. नगर परिषद द्वारा निर्देशित स्थान अथवा किसी भी निजि भूमि एवं भवन की ऐसी दीवार/छत पर जो कि सार्वजनिक मार्ग पर हो विज्ञापन प्रदर्शित किये जा सकेंगे बशर्ते कि स्वच्छ वायु एंव प्रकाश पर कुप्रभाव न पडे एवं ऐसे निजि भवन पर परिषद के सूचना पटट का निर्माण करना चाहता हो तो उसका किराया अथवा मुआवजा उचित मात्रा परिषद द्वारा निश्चित किया जाकर भवन के स्वामी विज्ञापनकर्ता हो दिया जा सकेगा। विज्ञापन प्रदर्श हेतु भवन की उपयुक्ता के सम्बन्ध में विज्ञापनकर्ता को (भार वहन करने की क्षमता) का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विज्ञापन पटटों का साईज लाईसेन्सिंग अथोरिटी करेंगे।
11. नगर परिषद सूचना पटट पर विज्ञापन चिपकाने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होने पर आयुक्त का कर्तव्य होगा किः—
(1) यदि वह विज्ञापन को अनुमोदित करता है तो आवेदक द्वारा विज्ञापन प्रदर्शन किया जा सकेगा और प्रदर्शन किये जाने वाले विज्ञापन को अनुमोदित करेगा इसके लिए अनुमति जारी करेंगा।
(2) यदि वह विज्ञापन आदि को अस्वीकार कर देता है तो लिखित में कारण बताते हुए उसकी प्रतियां वापस आवेदक को लौटा देगा।
(3) यदि लौटाई जाने वाली सूचनाओं की या विज्ञापनों की शुल्क जमा हो चुकी है, तो वह भी वापस लौटा दी जावेगी।
12.(1) प्रत्येक विज्ञापन प्रदर्श हेतु अलग प्रार्थना पत्र मय निर्धारित शुल्क के प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। किसी भी व्यक्ति/एडवरटाईजिंग कम्पनी द्वारा एक से अधिक विज्ञापन प्रदर्श हेतु इकजाई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर स्वीकार नहीं किया जावेगा। प्रत्येक प्रार्थना पत्र के साथ स्थान का रेखाचित्र जो किसी डाफ्टमैन द्वारा बनाया गया हो दिशा एक विश्ष्ट स्थान से सही दूरी आदि की विस्तृत जानकारी हो विज्ञापन का प्रारूप एवं अन्य जानकारी लाईसेंन्सिग अथोरिटी द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुसार बताई गई है, संलग्न करना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में प्रार्थना पत्र खारिज किया जा सकेगा।

(2) जो कोई व्यक्ति अथवा भवन का स्वामी अपने भवन की ऐसी दीवार/छत पर जो सार्वजनिक मार्ग से दिखाई दे अथवा किसी आम रास्त से प्रभावित होती हो किसी प्रकार का ग्लोसाईन/विज्ञापन बोर्ड लगाना चाहेगा अथवा किसी प्रकार का विज्ञापन लिखने लिखवाने अथवा चित्रित करेगा या चित्रित करवाने के लिए आवेदन पत्र देगा उसे भी निम्न लिखित शर्तो पर अनुज्ञापत्र दिया जा सकेगाः–

(1) निजि भूमि/भवनों पर विज्ञापन बोर्ड लगाने की जो भी अनुमति प्राप्त करेगा वह नगर परिषद द्वारा निर्धारित शुल्क 100 रूपये प्रति वर्गफिट प्रतिमाह आवेदन के साथ पूरे वर्ष का जमा करवायेगा। इसमें तीन वर्ष पश्चात नगर परिषद जो उचित समझें उस अनुपात में वृद्धि राज्य सरकार की स्वीकृति से कर सकेगा।

(2) यदि आवेदक स्वयं भूमि/भवन का मालिक नहीं है तो उसे भूमि/भवन के मालिक का ऐसे विज्ञापन लगाने का लिखित स्वीकृति पत्र आवेदक पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।

(3) लाईसेन्स की अधिकतम अवधि एक वर्ष रहेगी जो कि वितीय वर्ष (अप्रेल से मार्च) के आधार पर मानी जावेगी।

(4) विज्ञापन दीवार पर ही लिखा या चित्रित किया जावेगा तो लाल, बैरंगी रंग से पेन्ट किया हुआ होने की सूरत में सफेद अक्षरों से और सफेद पेन्ट किया होने की सूरत में लाल रंग के अक्षरों से लिखना होगा अथवा नगर परिषद द्वारा निर्दिष्ट रंग व नाप का होगा।

(5) ऐसे विज्ञापन की दीवार पर लिखाई अथवा दीवार पर चित्र ठीक और सुन्दर हालत में रखना होगा।

(6) चल वाहनों पर विज्ञापन का शुल्क देकर विज्ञापन की स्वीकृति लाईसेन्सिंग अथोरिटी से प्राप्त करनी होगी।

(7) निजि सम्पतियों पर किया गया विज्ञापन किसी भी सूरत में सड़क की सतह से 18 मीटर से अधिक ऊंचा नहीं होगा।

(8) निजि सम्पतियों पर अनुमत विज्ञापन की साईज लम्बाई 20 ग ऊचाई 10 से अधिक नहीं होगी। विज्ञापनों के मध्य न्यूनतम 1 फिट की दूरी रखनी होगी।

(9) भारत संघ/राज्य सरकार/स्वायत्त शासी संस्था/केन्द्रीय बोर्ड/राज्य बोर्ड द्वारा विज्ञापन जो मुख्य मार्ग की ओर देखते हुए होंगे उसकी विज्ञापन लाईसेन्स फीस..... रूपये नगर परिषद, अजमेर को देय होगी।

(10) शहर की सौन्दर्यता को बनाये रखने के लिये नगर परिषद की शर्तो का पालन करने पर फिल्म पोस्टरों के विज्ञापन करने हेतु दरें अन्य विज्ञापन दरों से भिन्न होगी जो परिषद द्वारा निश्चित की जावेगी एवं शर्तें विज्ञापन समिति निर्धारित करेगी।

13. **प्रतिबन्धितः–**

(1) कोई भी विज्ञापन इस प्रकार प्रदर्शित नही किया जावेगा जिससे वाणिज्यिक संस्थान के ऊपर कंगूरों में कोई विकृति हो अथवा ये अच्छादित हो जावें।

(2) कोई भी विज्ञापन वाणिज्यिक संस्थान की छत की मुंडेर पर अनुमति नहीं किया जावेगा। वाणिज्यिक संस्थान अपना नाम पटट दुकान का साईज 7ग2 फीट निःशुल्क लगा सकेगा एवं इसमें किसी प्रकार का विज्ञापन प्रदर्श नहीं करेगा।

(3) कोई भी विज्ञापन वाणिज्यिक संस्थान के आगे फुटपाथ अथवा सड़क की ओर झुका हुआ अनुमत नहीं किया जावेगा।

(4) कोई भी विधुत चलित विज्ञापन मुख्य सड़क के चौराहों के केन्द्र से किसी ऊंचे भवन के सिर पर 40 फिट से कम दूरी पर नहीं लगाया जावेगा।

(5) (1) विज्ञापन होर्डिंग्स किसी दोराहे या चौराहे में रूकावट करते हुए अनुज्ञापित नहीं किया जा सकेगा लेकिन सड़क सेंटर से दूरी हर हालत में 30 फिट से कम नही होगी।

(11) विज्ञापन होर्डिंग्स का साईज कम से कम 12 फिट ग 8 फिट का होगा व आधिकतम 20 फिट ग 20 फिट का होगा इसका निचला भाग जमीन की सतह से 7 फीट की ऊंचाई पर रहेगा तथा जमीन से 7 फीट की अधिक ऊंचाई नही ली जावेगी।

(6) कोई भी विज्ञापन किसी यातायात नियमों के अन्तर्गत प्रदर्शित चिन्ह या पटट में अंकित चिन्हों के रंग या नाम से पृथक होगा। ऐसे विज्ञापन द्वारा रूकावट नहीं डाली जावेगी।

(7) कोई भी विज्ञापन प्रदर्श जो यातायात के सुगम एवं सुरक्षित संचालन में बाधक अथवा खतरनाक (हाजार्डअश) हो अनुमत नहीं किया जावेगा, लेकिन विज्ञापन प्रदर्श केवल दृश्य मात्र से यातायात में बाधक/खतरनाक नही माना जायेगा।

(8) कोई भी विज्ञापन नेशनल हाईवे अधिनियम 1956 एवं यथा संशोधित के तहत प्राधिकृत अथोरिटी के द्वारा बनाये गये नियमों निबन्धनों के विरूद्ध नहीं होगे।
(9) किसी भी सड़क के आर–पार किसी प्रकार का कोई विज्ञापन न तो लटकाया जावेगा और न प्रदर्शित किया जावेगा जिससे कि सामान्यतः वाहन चालकों की दृष्टि उन पर पड़े।
(10) नगर प्राचीर व दीवार सार्वजनिक भवनों, कार्यालय, शैक्षणिक संस्थाएं, अस्पताल, राष्ट्रीय स्मारक, पुलों पर कोई विज्ञापन प्रदर्शित नही किया जावेगा।
14. मुक्तियांः– जनहित की दृष्टि से निम्न परिस्थितियों में विज्ञापन प्रदर्शित करने पर कोई प्रतिबन्ध नही होगा :–(1) शासकीय व विभागीय चेतावनी चिन्ह, यातायात निर्देश, मार्ग सूचक चिन्ह/मानचित्र किसी न्यायालय या सार्वजनिक अधिकारी जो अपने कर्तव्यों के पालन से कोई विज्ञापन पत्र, सूचना पत्र अन्य विज्ञापन प्रदर्शित करें या प्रदर्शित करने का निर्देश दें। उदाहरण सार्वजनिक न्यास द्वारा भूमि विक्रय सम्बन्धी विज्ञापन व पैट्रोल पम्प सम्बन्धी चिन्ह वृताकार में 2 1/2 ग 2 1/2 लगा सकेंगे।

(2) राज्य सरकार द्वारा जनहित एवं जन सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए विज्ञापन प्रदर्श में छूट प्रदान की जा सकेगी।
15. कोई व्यक्ति दुकान/व्यवसाय/भवन/दीवार/शटर पर अपना नाम/ व्यवसाय का नाम प्रदर्श अंकित करता हैं चित्रित करता है। तो उसे सफेद/काला/लाल रंग में चित्रित/अंकित किया जावेगा किन्तु निर्धारित साईज 7 ग 2 से अधिक बोर्ड लगाने/चित्रित करने पर नियमानुसार निर्धारित शुल्क देय होगा।
16. निम्नांकित हस्ताविपत्र अथवा सूचनाऐं निर्धारित स्थानों पर निःशुल्क चिपकाई जावेगी :–
(1) वे समस्त सूचनाऐं जो नगरपालिकाओ से तथा राज्य सरकार से प्राप्त होगी।
(2) वे समस्त सूचनाऐं जो विशुद्व धार्मिक हो अथवा जनहित में उचित प्रतीत होती हो अथवा उपविधि 15 में अंकित है।
17. कोई भी व्यक्ति नगर परिषद के सूचना पट्ट पर लगाये गये विज्ञापन व अन्य अनुज्ञापित विज्ञापन अथवा दीवार पर लिखे या चित्रित किये गये विज्ञापनो को किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुचायेगा।
18. नगर परिषद प्रत्येक राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, स्वास्थ्य निरीक्षक का कर्तव्य होगा कि व अपने क्षेत्र में इन उपविधि में से किसी भी उपविधि का उल्लंघन पाये जाने पर अनुज्ञापत्र प्राधिकारी को लिखित में रिपोर्ट प्रस्तुत करे एवं उपविधियो के अनुसार कार्यवाही करें।
19. इन उपविधियों के उल्लंघन करने वाले दोषी व्यक्ति का चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने का अधिकार आयुक्त को होगा।
20. इन उपविधियों के अन्तर्गत दिये ये किसी भी आदेश की अपील परिषद को आदेश की प्राप्ति की तिथि से दो सपताह की अवधि मे ही की जा सकेगी। निर्णय की प्रतिलिपि प्राप्त करने का समय बाद दिया जावेगा, परिषद इस उपनियम के अधिकार किसी कमेटी को दे सकेगा।
21. न्यायालय में विचाराधीन अभियोग को वापस लेने अथवा समझौता करने का अधिकार राजस्थान नगर पालिका समझौता नियम, 1966 के प्रावधाननुसार होगा।
22. इन उपविधियों में से किसी भी उपविधि का उल्लंघन प्रमाणित होने, पर सक्षम न्यायाधीश द्वारा 1000/– रूपये तक का अर्थदण्ड दिया जा सकेगा। और उल्लंघन जारी रहने तक 200/– रूपयें प्रतिदिन अतिरिक्त दण्ड़ भी दिया जा सकेगा।
23. अर्थदण्ड की धनराशि न्यायालय में जमा हो जाने पर राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 (अधिनियम संख्या 38 सन् 1959) की धारा 95 व 268 के अनुसार परिषद कोष में हस्तान्तरित की जावेगी।
24. सरकार/न्यायालय के द्वारा प्रतिबन्धित विज्ञापन स्थलो के अतिरिक्त लाईसेन्स शुदा विज्ञापन बोर्ड को कोई अन्य विभाग नहीं हटा सकेगा।

25. कोई भी व्यक्ति, संस्था, विभाग, रेल्वे, परिवहन विभाग रोडवेज किसी भी विज्ञापन का प्रदर्श नगर परिषद सीमा क्षेत्र में सड़क/मार्ग से दिखाई देने की स्थिति में इन उपविधियों के अन्तर्गत शुल्क जमा कराकर अनापत्ति प्राप्त कर ही प्रदर्श करेगा। बिना अनापत्ति प्रमाण–पत्र विज्ञापन से सम्बन्धित कोई वाद होने पर समिति में अपील की जा सकेगी एवं उसका निर्णय होने पर ही वह म्यूनिसिपल बाईलॉज के तहत् आगे अपील कर सकेगा।

27. निरसन और व्यावृत्तियां :–इन उपविधियों के प्रवर्तन में आने के पश्चात् नगर परिषद अजमेर (विज्ञापन) उपविधिया, 1977 इसके द्वारा निरासित किये जाते है।
इन उपविधियों के प्रवर्तन में आने वे पूर्व में निरासित उपविधियो, उपनियमों, प्रस्ताव, विज्ञाप्तियां आदेश के अन्तर्गत किया हुआ कोई कार्य केवल इन उपविधियों के प्रभावशील हो जाने के कारण अवैध नहीं समझा जावेगा बर्शेत कि ऐसा कार्य इन उपविधियों के प्रावधानों के विपरीत न हो। परन्तु ऐसा निरासित इस प्रकार निरासित उपविधियों के अधीन की गयी बाध्यता या अधीन की गयी किसी भी बात या किसी भी कार्यवाही या अर्जित या उपगत अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व, दी गयी किसी शास्ति, समपहरण या किये गये किसी अन्वेषण या लम्बित किसी विधिक कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा।
28. किसी भी फर्म द्वारा निविदा के आधार ठव्ज् आधारित गेन्ट्री यूनीपोल आदि का जो निर्माण किया जायेगा उसमें नगर परिषद के निर्देशानुसार विज्ञापन हेतु जगह आरक्षित की जावेगी एवं 15 वर्ष पश्चात् रोड फर्नीचर सही स्थिति में नगर परिषद में सोपेगे।

आयुक्त
नगर परिषद, अजमेर

सभापति
नगर परिषद, अजमेर

कार्यालय नगर परिषद अजमेर

क्रमांक त्व्व्व्ध209 दिनांक 19/03/08

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 (अधिनियम संख्या 38 सन् 1959) की धारा 90 की उपधारा (1) के खण्ड (ए.सी) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर परिषद, अजमेर ने विज्ञापन उपविधियां 2008 बनाई है जो नगर परिषद् के अन्यकर विभाग में उपलब्ध है जिन्हें किसी भी कार्य दिवस में परिषद् के अन्यकर विभाग में किसी भी व्यक्ति द्वारा अवलोकन किया जा सकता है।

अतः जिस किसी व्यक्ति को इन उपविधियों में किसी प्रकार की आपति हो तो लिखित में मय कारण के इस सूचना प्रकाशित होने की तिथी से 30 दिवस में अपनी आपतियां प्रस्तुत कर सकते है। वाद मियाद प्राप्त आपतियों पर किसी प्रकार से विचार नही किया जायेगा। यह सूचना पत्र आज दिनांक 19/03/08 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रांक से जारी किया जाता है।

आयुक्त
नगर परिषद्, अजमेर

कार्यालय नगर परिषद अजमेर

क्रमांक त्व्व्व्ध209 दिनांक 19/03/08

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 (अधिनियम संख्या 38 सन् 1959) की धारा 90 की उपधारा (1) के खण्ड (ए.सी) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर परिषद, अजमेर ने विज्ञापन उपविधियां 2008 बनाई है जो नगर परिषद् के अन्यकर विभाग में उपलब्ध है जिन्हें किसी भी कार्य दिवस में परिषद् के अन्यकर विभाग में किसी भी व्यक्ति द्वारा अवलोकन किया जा सकता है।

अतः जिस किसी व्यक्ति को इन उपविधियों में किसी प्रकार की आपति हो तो लिखित में मय कारण के इस सूचना प्रकाशित होने की तिथी से 30 दिवस में अपनी आपतियां प्रस्तुत कर सकते है। वाद मियाद प्राप्त आपतियों पर किसी प्रकार से विचार नही किया जायेगा। यह सूचना पत्र आज दिनांक 19/03/08 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रांक से जारी किया जाता है।

आयुक्त
नगर परिषद्, अजमेर